भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1297
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों के साथ पीएसीएस

1297. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री लुम्बा रामः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी पंचायतों में 2 लाख पीएसीएस या डेयरी /मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में योगदान देने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;
(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन में राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं;
(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या जिला स्तर पर कोई विशेष समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सभी राज्य उक्त योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को कार्य करने के लिए कोई पहल की है;
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(झ) उक्त पहल से विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में पीएसीएस को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ, मान्यवर। सरकार ने दिनांक15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने हेतु योजना को मंजूरी दे दी है । इस योजना में डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से देश की सभी पंचायतों/गांवों को नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों से कवर करना शामिल है ।

(ख): यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (च): योजना का प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि राज्य स्तर पर गठित राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) जैसी समितियां इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के साथ कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त, संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा दर्शाते हुए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) भी जारी की गई है । मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एक संयुक्त कार्य समिति (JWC) : DCDC की उप-समिति का गठन करना है, जो अनाच्छादित/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों की पहचान करने, प्रसुप्त/निष्क्रिय सहकारी समितियों के परिसमापन के लिए आवश्यक कदम उठाने, आदि के लिए उत्तरदायी होगी । अब तक, 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 717 जिलों में संयुक्त कार्य समिति (JWC) का गठन किया जा चुका है ।

(छ) से (झ): जी हाँ, मान्यवर। सरकार ने देश में किसानों तक उर्वरकों, कीटनाशकों और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) संचालित करने की अनुमति देने की पहल की है। पीएमकेएसके के रूप में कार्य करने वाले पैक्स, किसानों को एक ही छत के नीचे, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक, मृदा, बीज परीक्षण आदि जैसे गुणवत्ता युक्त कृषि- इनपुट उपलब्ध कराकर प्रापण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करते है । उर्वरक विभाग (GOI) और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के 2,058 पैक्स सहित कुल 36,193 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

इस पहल के माध्यम से, पैक्स अपने प्रस्तावों में विविधता लाकर पारंपरिक अल्पकालिक ऋण सेवाओं के अलावा कृषि इनपुट और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल कर सकते हैं, जिससे बिक्री/राजस्व में वृद्धि होगी और इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में पैक्स को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी ।

******